केंद्रीय सूचना आयोग,
सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका,
नई दिल्ली – 110067 दूरभाष संख्या 011-26186536
(के.सू.आ. वेबसाइट : WWW.CIC.GOV.IN)

CICOM/R/P/2020/00262

03.07.2020

श्रीमान उमाशंकर मौर्य
सुपुत्र स्व. श्री लौधर मौर्य
ग्राम बाबू सराय, पोस्ट महराजगंज,
जिला भदोही - 221314 (उत्तर प्रदेश)
मोबाइल नं० 08004491544, 09455200396

विषय: आर० टी० आई० अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्रदान करना

महोदय,

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आर० टी० आई० आवेदन पत्र दिनांकित 23.05.2020 आर.टी.आई. प्रकोष्ट में दिनांकित **05.06.2020** को डायरी संख्या **25225** के तहत प्राप्त हुआ।

1. बिन्दु संख्या **1** का सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आर.टी.आई. आवेदन संख्या (सी.आई.सी.ओ.एम./आर./**2019/00063**/सी.आर.-1) का जवाब श्री कृष्ण अवतार तलवार, उप-सचिव/सी.पी.आई.ओ सी.आर-**1** द्वारा हिंदी भाषा मे आपको पहले ही दिया जा चूका है आपकी सुविधा के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा जारी किये गए सुविधा ज्ञापन के हिंदी रूपांतरण की प्रतिलिपि भी इस पत्र के साथ संलग्न करके आपको प्रेषित की जा रही है। (सुविधा ज्ञापन के हिंदी रूपांतरण की प्रतिलिपि संलग्न)

2. बिन्दु संख्या **2** का सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा किन आवेदन पत्रों की पत्रावली चाही गयी है उसका स्पष्ट वर्णन आपने अपने उपरोक्त वर्णित आवेदन आर.टी.आई. आवेदन पत्र में नहीं किया है कृप्या स्पष्ट रूप से आवेदन पत्रों का वर्णन करे जिनकी पत्रावली आप चाहते है।

3. बिन्दु संख्या **3** का सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा किस नियमावली की पत्रावली की छायाप्रति आपके द्वारा चाही गयी है उसका स्पष्ट वर्णन आपने अपने उपरोक्त वर्णित आवेदन आर.टी.आई. आवेदन पत्र में नहीं किया है कृप्या स्पष्ट रूप से उस नियमावली का वर्णन करे जिनकी छायाप्रति आप चाहते है।

4. बिन्दु संख्या **4** का सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा जे.एन.यू. डाकघर, नई दिल्ली - **110067** के माध्यम से पत्राचार किया जाता है।

5. बिन्दु संख्या **5** का सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा पत्रो को जे.एन.यू. डाकघर को सौपने के पश्चात पत्र किस-किस तिथि में कहाँ-कहाँ जाता है इसकी जानकारी केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा नहीं रखी जाती है।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
07 JUL 2020
D. No.
Initials

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो आप 30 दिन के अंदर **श्रीमति मीना बलिमने शर्मा, प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली** - 110067 के यहाँ अपनी प्रथम अपील दर्ज करा सकते है।

रा. कुमार
(राम कुमार)
अ. अधिकारी व के.लो.सु.अ.आर.टी.आई. प्रकोष्ठ

संलग्न:- केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा जारी किये गए सुविधा ज्ञापन के हिंदी रूपांतरण की प्रतिलिपि ।

द्वितीय अपील/कम्पलेंट/शिकायत –सुविधामेमो

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नजदीक पुराना जे न यू कैंपस,
नई दिल्ली -110067

डायरी नंबर: 167538/2020 **दिनांक: 28.11.2018**

सेवा में,

उमाशंकर मौर्या
पुत्र स्व० लौधर मौर्य
निवासी बाबू सराय, पो महराजगंज,
थाना-औराई, जिला भदोही,
संत रवि दास नगर,
उत्तर प्रदेश - 221401

विषय: दोष निवारण हेतु सभीदस्तावेजो सहित द्वितीय अपील/ कम्पलेंट का लौटाया जाना ।

महोदया/महोदय

उपरोक्त डायरी नंबर से प्राप्त आपकी कम्पलेंट दिनांक शून्य जो कि कमीशन में 15.11.2018 का संदर्भ ग्रहण करें ।

उपरोक्त कम्पलेंट की जाँच पर यह देखा गया है कि इसमें निम्नलिखित कमियां है, जिन्हें हटाये जाने की आवश्यकता ।

-आर टी आई आवेदन की जो प्रतिलिपी सलंग्न की है वह पढ़ने योग्य/Scannable नहीं है ।

उपरोक्त वर्णित कम्पलेंट इसलिये दोषनिवारण हेतु लौटाई जाती है । आपसे अनुरोध है किस भी दृष्टीकोण से पूर्ण द्वितीय अपील प्रेषित करें ।

कम्पलेंट भेजने के दौरान इस पत्र प्रति भी संलग्न होनी चाहिए ।

सलंग्नक : यथोपिर,

उप सचिव- केन्द्रीय रजिस्टरी -1